सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वादपत्र संख्या – 386 / 2016

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. रोशन पुत्र भूरालाल जाति कुम्हार
2. प्रेम पत्नि भूरालाल जाति कुम्हार
3. ममता पुत्री भूरालाल जाति कुम्हार
4. सुशीला पुत्री भूरालाल जाति कुम्हार

समस्त निवासीगण कालेडा कृष्णगोपाल तहसील केकड़ी जिला अजमेर

वादीगण

बनाम

1. जमनी पत्नि गंगाराम जाति बैरवा
2. सन्तरा पुत्री गंगाराम जाति बैरवा
3. दुर्गा पुत्री गंगाराम जाति बैरवा

समस्त निवासीगण कालेडा कृष्णगोपाल तहसील केकड़ी जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय **दिनांकः– 07.05.2018**

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प कालेडा कृष्ण गोपाल में पेश हुई। वादीगण उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से कोई हाजिर नही । उपस्थित वादीगण को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी के वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम कालेडा कृष्ण गोपाल तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता नम्बर 249 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 182 रकबा 0.04 है. जो कि वादीगण के पिता के नाम दर्ज होकर जरिये नामा. संख्या 731 दिनांक 15.01.2013 से मृतक भूरालाल के स्थान पर प्रेम पत्नि भूरालाल, रोशन पिता भूरालाल, ममता, सुशीला पुत्रीयां भूरालाल कौम कुम्हार के नाम स्वीकार हुआ। वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा आदि नही है किन्तु प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण की खातेदारी की आराजी के मेड पर लगी बाड़ को फेंक देते है। मना करने पर लडाई–झगडा आदि करने पर आमादा है। लिहाजा वादी का दावा स्वीकार फरमाकर प्रतिवादीगण को सदैव के लिए जरिये निषाधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण की और से श्री मीठूसिंह एडवोकेट ने पावर पेश किया। प्रतिवादीगण को जवाब हेतु 9 मौके दिये गये किन्तु प्रतिवादी ने जवाब आदि पेश नही किया है। पत्रावली आज केम्प कोर्ट कालेडा कृष्ण गोपाल में पेश हुई जहां उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। विवरण निम्न प्रकार है।

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी के वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम कालेडा कृष्ण गोपाल तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069—72 के खाता नम्बर 249 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 182 रकबा 0.04 है. जो कि वादीगण के पिता के नाम दर्ज होकर जरिये नामा. संख्या 731 दिनांक 15.01.2013 से मृतक भूरालाल के स्थान पर प्रेम पत्नि भूरालाल, रोशन पिता भूरालाल, ममता, सुशीला पुत्रीयां भूरालाल कौम कुम्हार के नाम स्वीकार हुआ। वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा आदि नही है किन्तु प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण की खातेदारी की आराजी के मेड पर लगी बाड़ को फेंक देते है। मना करने पर लडाई—झगडा आदि करने पर आमादा है। इस हेतु वादीगण ने नकल जमाबन्दी संवत 2069—72, नक्शा टेस, गिरदावरी की प्रमाणित प्रतियां पेश की है। प्रस्तुत दस्तावेजों से वादी का दावा स्वीकार योग्य बनता है।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब दावा आदि पेश नही है ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है जिससे यह प्रतीत होता हो कि वादग्रस्त आराजी में उनका कोई हक हिस्सा आदि जाहिर होता हो।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित पक्षकारान को सूना वादग्रस्त आराजी वादीगण के खातेदारी में दर्ज होने से वादीगण का दावा प्रेमापेसाई होना पाया जाता है तथा वाद का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में होना पाया जाता है।

अतः वादी का दावा वाके ग्राम कालेडा कृष्ण गोपाल तहसील केकड़ी जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2069—72 के खसरा नम्बर 182 रकबा 0.04 हैक्ट अन्तर्गत धारा 188 का स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये निषेधाज्ञा से सदैव के लिए पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की वादग्रस्त आराजी में उसके कब्जे काश्त व स्वामित्व में किसी प्रकार बाधा उत्पन्न नही करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी